राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1701/2015/अलवर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–द्वितीय, प्रतिकरापवंचन,भरतपुर — अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स मदन लाल पुत्र श्री कुन्दललाल सुगनाबाई धर्मशाला के पीछे
श्योलालपुरा, अलवर (वाहन चालक/मालिक,
वाहन संख्या आरजे 02–सीबी–2829 — प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित

श्री आर.के. अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं

निर्णय दिनांक 16.03.2017

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी विभाग की ओर से अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, अलवर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 16/आर**वैट**/2014–15/अपील.प्राधि./अलवर में पारित आदेश दिनांक 23.04.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट द्वितीय, प्रतिकरापवंचन,भरतपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 76(9) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रू. 58,482/– को अपास्त किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, वृत–बी, भरतपुर द्वारा टैक्सी संख्या आरजे–02–सीबी–2829 को चेक करने पर पाया गया कि वाहन में माल चांदी के जेवरात वजन 8 किलोग्राम आगरा से अलवर के परिवहनित करते हुए पुलिस चौकी डेहरा मोड पर चेक किया गया। वक्त जांच वाहन चालक ने बताया कि माल के वास्तविक मालिक श्री कष्ण गुप्ता पुत्र श्री ताराचन्द गुप्ता, निवासी–286,बसंत बिहार, अलवर साथ में है । श्री कृष्ण गुप्ता से परिवहनित माल से सम्बन्धित दस्तावेज मांग जाने पर उन्होंने बिल/बिल्टी या चालान आदि पेश नहीं किये और यह भी बताया गया कि न ही कहीं भूलकर आये हैं। इस प्रकार के तथ्यों के होने पर कर निर्धारण अधिकारी ने वाहन चालक द्वारा बिना उचित दस्तावेजों के माल का परिवहन षडयंत्र पूर्वक करापवंचन के सहयोग से किया जाना मानकर वाहन चालक के विरूद्ध अधिनियम की धारा 76(9) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में वाहन चालक द्वारा उत्तर प्रस्तुत किया जाना गया है, जिसको सन्तोषजनक नहीं मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा परिवहनित माल 8 किलोग्राम चांदी के जेवरात की कीमत रू. 1,98,280/–पर 30

प्रतिशत की दर से अधिनियम की धारा 76 (9) के अन्तर्गत शास्ति रू. 59,482/– आरोपित करते हुए आदेश दिनांक 18.11.2013 पारित किया। उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तत करने पर उन्होंने आरोपित शास्ति को अपास्त किया है, जिसके विरूद्ध विभाग की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश प्रकरण के तथ्यों एवं विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है । उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण की परिस्थितियों में ध्यान में रखे बिना ही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया है। उनका कथन है कि वक्त चेकिंग वाहन चालक के द्वारा दिये गये बयानों के अनुसार 8 किलोग्राम चांदी के जेवर आगरा से अलवर के लिए बिना दस्तावेजों के परिवहनित किये जा रहे थे, जिसके वास्तविक मालिक वाहन में उपलब्ध थे,जिससे स्पष्ट है कि वाहन चालक का करापवंचन किये जाने में मिली भगत थी, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76 (9) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की, जिसको बिना किसी आधार के अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किया गया है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी बावजूद सूचना के अपील सुनवाई के समय उपस्थित नहीं हुआ है इसलिए अपील के गुणावगुण पर विचार करके एकपक्षीय निर्णय किया जा रहा है।

विभागीय प्रतिनिधि उप राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया । रिकार्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा टैक्सी संख्या आरजे.02–सीबी–2829 को चेक करने पर उसमें 8 किलोग्राम चांदी के जेवर आगरा से अलवर के लिए बिना दस्तावेजों के परिवहनित किया जाना पाया गया है। वक्त चेकिंग वाहन में माल के वास्तविक मालिक मौजूद थे। प्रत्यर्थी ट्रांसपोर्टर न होकर एक टैक्सी मालिक है जिसके द्वारा यात्रियों एवं उनके सामान के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, जिसकी एवज में उनसे किराया चार्ज किया जाता है एवं यात्रियों द्वारा अपने साथ ले जाने वाले सामान पर कर देयता के लिए वह कतई जिम्मेदार नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि किराये की टैक्सी द्वारा कोई जी आर अथवा टिकट जारी नहीं किया जाता है। अतः अधिनियम की धारा 78(2)ए) के तहत वांछित दस्तावेज टैक्सी ड्राईवर के पास पाया जाना आवश्यक नही है क्योंकि वह यात्रियों से भाडा लेकर कार्य करता है ना कि माल परिवहन का। इसमें टैक्सी ड्राईवर की कोई मिली भगत भी प्रमाणित नहीं की गई है।

प्रकरण के तथ्यों से यह भी ज्ञात नहीं होता है कि टैक्सी ड्राईवर/मालिक द्वारा अपने वाहन को जांच हेतु रोका नहीं गया हो अथवा भगाकर ले जाया गया हो अथवा जांच दल को जांच का कार्य में सहयोग नहीं किया गया हो। उक्त तथ्यों के अभाव में टैक्सी ड्राईवर/मालिक द्वारा किसी प्रकार से विधिक प्रावधानें का उल्लंघन किया जाना या करापवंचन में सहयोग किया जाना प्रमाणित नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में अधिनियम की धारा 76 (9) के अन्तर्गत टैक्स चालक/मालिक पर शास्ति आरोपित किया जाना विधिक एवं उचित नहीं है। विद्वान अपीलीय अधिकारी ने इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76 (9) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रू. 59,482/–को अपास्त किया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप करने का औचित्य नजर नहीं आता है। फलतः अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.04.2015 की पुष्टि करते हुए विभाग की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।

(श्री मदन लाल मालवीय)
सदस्य